>

Title: Need to take steps to provide education to every child in the country in accordance with the spirit of Right to Education Act.

श्री जगदीश ठाकोर (पाटन): यू.पी.ए. सरकार ने शिक्षा का अधिकार कानून बनाकर एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। केन्द्र सरकार का कार्य कानून बनाना है। देश के 28 राज्य व 7 केन्द्र शासित प्रदेशों में एक कानून हो और बच्चों को मुफ्त शिक्षा का लाभ मिले तथा कोई भी बच्चा पढ़ने के अपने अधिकार से वंचित न रहे।

केन्द्र सरकार ने शिक्षा का अधिकार कानून ही नहीं बनाया अपितु राज्य सरकारों को 68 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च पर योगदान दे रही है तथा राज्य सरकार 32 प्रतिशत खर्च वहन करेगी। शिक्षा राज्य का विषय है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि अभी तक जिन राज्य सरकारों ने इस कानून को लागू नहीं किया उन्हें इस दिशा में उचित कदम उठाने हेतु कहा जाए जिससे इन राज्यों के बच्चे शिक्षा से वंचित न रहे। आज भी देश में तीन करोड़ बीस लाख बच्चे शिक्षा से वंचित है।

इसके अतिरिक्त प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी को दूर किया जाए और नए शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। जिससे ग्रामीण क्षेत्र में विशेषकर बालिकाएं इसका लाभ उठा सकें। शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए तथा गांव में पब्लिक स्कूलों में समाज के गरीब बच्चों को 25 प्रतिशत दाखिला मिले इस पर विशेष ध्यान देने के साथ-साथ निगरानी कमेटियां बनाई जाए।